

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI ORIGINAL
ORIGINAL APPLICATION NO. 994/2024**

IN THE MATTER OF:

PURAN SINGH CHOUHAN

.....APPLICANT(s)

VERSUS

STATE OF UTTAR PRADESH & ORS.

.....RESPONDENT(s)

INDEX

S.No.	PARTICULARS	PAGE NO.
1.	FURTHER REPORT ON BEHALF OF DISTRICT MAGISTRATE, AGRA IN COMPLIANCE OF THE ORDER DT. 13.12.2024 PASSED BY THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL	
	ANNEXURES	
2.	COPY OF THE INSPECTION REPORT DT. 27.01.2025 ATTACHED HEREWITH AS ANNEXURE A-1	
3.	COPY OF THE APPROVED LAYOUT MAP ATTACHED HEREWITH AS ANNEXURE A-2	
4.	COPY OF THE REPORT DT. 31.01.2025 ATTACHED HEREWITH AS ANNEXURE A-3	
5.	COPY OF THE LETTER DT. 27.01.2025 ATTACHED HEREWITH AS ANNEXURE A-4	
6.	COPY OF THE LETTER DT. 28.01.2025 ATTACHED HEREWITH AS ANNEXURE A-5.	

7.	COPIES OF THE LETTER DT. 13.02.2025 ATTACHED HEREWITH AS ANNEXURE A-6 (COLLY)	
8.	COPY OF THE AFFIDAVIT DT. 21.01.2025 ATTACHED HEREWITH AS ANNEXURE A-7.	

THROUGH



BHANWAR PAL SINGH JADON

STANDING COUNSEL FOR STATE OF UTTAR PRADESH

EMAIL- bhanwar09jadon@gmail.com

DATE: 19.03.2025

Ph: 9639286572

PLACE: AGRA

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
ORIGINAL APPLICATION NO. 994/2024

40

IN THE MATTER OF:

PURAN SINGH CHOUHANAPPLICANT(s)

VERSUS


STATE OF UTTAR PRADESH & OTHERS.....RESPONDENT(s)

FURTHER REPORT ON BEHALF OF DISTRICT MAGISTRATE,
AGRA, UTTAR PRADESH IN COMPLIANCE OF THE ORDER
DT. 13.12.2024 PASSED BY THE HON'BLE NATIONAL GREEN
TRIBUNAL

I, ARAVIND MALLAPPA BANGARI aged about 43 years S/o Sh. SRI MALLAPPA, presently posted as District Magistrate, Agra, do hereby solemnly affirm and state on oath as under:

1. That I, the Deponent in the above captioned matter am fully conversant with the facts of the case and is competent and authorized to swear the present report.

That I state that the contents of the report have been drafted by my counsel on my instructions and the contents of the same are true to my knowledge and nothing material has been concealed therefrom.




3. That in the present matter, the applicant has raised allegations that there is a park outside the gate of Manhar Green Colony at Shastripuram Sikandra, Agra which is being damaged and encroached by Bhu-mafias in as much as boundary of park has been damaged, a transformer has been placed, and Septic tank has also been constructed in park itself and thereby status of park has been changed illegally which is causing severe damage to environment.

4. That this Hon'ble Tribunal vide order dt. 13.12.2025 directed as under:

"4. Observations made in para 13 are self-contradictory and are also materially deficient Construction of boundary wall, septic tank and establishment of transformer on the land in question contradicts with assertion as to the land being some other person's property. Why the boundary wall located on the left side outside the gate of colony was demolished is not mentioned. To whom the land outside the gate of colony belongs is not mentioned. When, by whom and why septic tank was constructed in the above said land is not mentioned. When, by whom and why the transformer was established in that land. The report does not mention relevant facts and has been casually prepared.

5. The Joint Committee is directed to file complete report with all relevant facts and copies of all relevant documents within one month.

6. The District Magistrate, Agra is directed to file further Action Taken Report within one month with all requisite details after revisiting all the environmental issues involved."



5. That in compliance of the aforementioned order, the Committee comprising of the Additional District Magistrate (Namami Gange), Regional Officer, U.P Pollution Control Board, Agra, Lekhpal of Mauza-Mohammadpur, Tehsil-Sadar, Agra inspected the site in question on 27.01.2025 upon the directions of the Deponent.


A Copy of the inspection report dt. 27.01.2025 is attached herewith as ANNEXURE A-1.

6. That during the said inspection, the residents of Gayatri Manhar Green Colony, namely Dr. Sanjay Shalya, R/o House No. 20, Gayatri Manhar Green; Shri Harendra Rana, R/o House No. 28, Gayatri Manhar Green; along with Shri Shyam Sunder and Shri Dharamveer Kaushik, Secretary of Gayatri Manhar Green Society, were present. Furthermore, it is pertinent to mention that Shri Vishnu Dixit, the brother of Shri Hariom Dixit the builder of the colony, was also present during the said inspection.

That during the inspection the residents of the colony informed as under:

- That the 2ft boundary wall on the left side of the southern gate of the colony was damaged by Shri Vishnu Dixit, the brother of Shri Hariom Dixit, the builder of the said colony.
- That the builder was responsible for developing parks on both sides of the colony.
- That outside the Southern gate of the colony Septic tank was constructed for the disposal of domestic sewage on right side and transformer on the left side in the year 2010 by the builder Shri Hariom Dixit.

27/01/2025




7. That the observations of the Joint Committee during the said inspection are as follows:

- i) That there are two gates in the said colony—one at the northern side and the other at the southern side.
- ii) That with respect to the northern gate.
 - A 10-foot-wide road was found in front of the gate, which ultimately connects to the main road, namely the 100-foot-wide Lakhanpur Road at the distance of approx. 550 Meter.
 - That as per the approved map by the Agra Development Authority in the year 2010, the northern side gate of the colony was designated as the main entrance of the colony. However, during the inspection, it was found to be closed.

A Copy of the approved Map provided by Agra Development Authority has been annexed herewith as ANNEXURE A-2.

- iii) That with respect to the southern gate,
 - A 30-foot-wide road is constructed in front of the gate, which merges with the 100-foot-wide Lakhanpur Road at the distance of approx. 200 Meter.
 - That no park was found developed outside the southern gate of the colony.
 - That a septic tank was found to be constructed on the right side of the southern gate, while the remaining right-side area was found to be vacant.
 - That a transformer was found to be installed on the left side of the southern gate, and some castor plants were also observed in the same area.
 - That a 1.5 ft. curve stone at the left side of the gate was found to be demolished by unknown individuals.



iv) That two parks of the colony were found within the premises rather than outside.

8. That furthermore, a report dated 31.01.2025 was submitted by the Tehsildar, Sadar, Agra, to the Additional District Magistrate (Namami Gange), Agra. The said report was accompanied by revenue records pertaining to the site in question. That as per the revenue records i.e. the Khatauni Document:

- Gayatri Manhar Green Colony has been developed on Khasra No. 151, covering a total area of 1.2640 hectares.
- Khasra No. 151 is registered in the name of Girraj Sahakari Awas Samiti Ltd.
- Khasra No. 152 was subdivided into Khasra No. 152/1 and Khasra No. 152/2, as per the revenue records.


That Khasra No. 152/1 is registered in the names of:

- (i) Agra Development Authority
- (ii) Girraj Sahakari Awas Samiti Ltd.
- (iii) Navrang Sahakari Awas Samiti Ltd.

That Khasra No. 152/2, as per the revenue records, is registered in the name of Madhusudan Awas Sahakari Samiti Ltd.

A Copy of the report dt. 31.01.2025 is attached herewith as ANNEXURE A-3.

9. That with respect to the aforementioned observations of the Joint Committee during the inspection dt. 27.01.2025, the Uttar Pradesh Pollution Control Board, Agra has written a letter dt. 27.01.2025 to the Town Planner, Agra Development Authority, Agra regarding land use of Khasra No. 151 and Khasra No. 152 located at Mauja-



Mohammadpur, Agra.


A Copy of the letter dt. 27.01.2025 is attached herewith as **ANNEXURE A-4.**

10. That in response of the aforementioned letter, the Town Planner, Agra Development Authority, Agra vide letter dt. 28.01.2025 to the Uttar Pradesh Pollution Control Board, Agra stated that as per the Agra Master Plan-2021, the land use of Khara No. 152 is affected by the 30-meter-wide road network under Road Network Plan Zone-3. The remaining portion of Khasra No.'s 152 and 151 fall under the Residential Zone (Low-Density). A Copy of the letter dt. 28.01.2025 is attached herewith as **ANNEXURE A-5.**

11. That another letter dt. 13.02.2025 was written by the Uttar Pradesh Pollution Control Board, Agra to the Town Planner, Agra Development Authority, Agra. That vide the said letter, it was requested to the Agra Development Authority to clearly mark the main entrance in the approved layout plan of the colony and provide the necessary information.

12. That in response of the aforementioned letter dt. 13.02.2025, the Agra Development Authority, Agra has written a letter on the same day. That the said letter states that as per the records available in the file of Agra Development Authority, the land in front of the entrance gate of the colony is designated as a 12-meter-wide road as per the Road Network Plan Zone-3.

Copies of the letters dt. 13.02.2025 are attached herewith as **ANNEXURE A-6.**



13. That it is pertinent to mention that the President of *Madhusudan Awasthi Sahakari Samiti Ltd.*, has submitted an affidavit dated **21.01.2025** to the *Uttar Pradesh Pollution Control Board*.

That the said affidavit states as follows:

- *Girraj Sahakari Awasthi Samiti Ltd.* and *Teerth Awasthi Samiti Ltd.* jointly developed the society named the *Gayatri Manhar Green Society* and obtained the requisite map approval from the *Agra Development Authority*.
- The land adjacent to **Gayatri Manhar Green Society** i.e. Khasra No. 152/2 belongs to *Madhusudan Awasthi Sahakari Samiti Ltd.*
- Both the societies, i.e., *Girraj Sahakari Awasthi Samiti Ltd.* and *Teerth Awasthi Samiti Ltd.*, had informed *Madhusudan Awasthi Sahakari Samiti Ltd.* that they will undertake the development of their colony. Consequently, the transformer and septic tank were installed on Khasra No. 152.
- The said affidavit further states that disputed land on the left side of Southern gate has already been transferred by *Madhusudan Awasthi Sahakari Samiti Ltd.* to Rajesh Singh through a legally executed sale deed.


A Copy of the affidavit dt. 21.01.2025 is attached herewith as

ANNEXURE A-7.

14. That as per the aforementioned observations during the inspection dt. 27.01.2025 and the information received by the Joint Committee.

The Joint Committee concludes as under:

- It has been established that there is no developed park outside the southern gate of *Gayatri Manhar Green Colony*,




as alleged by the applicant. Instead, two parks were identified within the premises of the colony.

- The committee observed the presence of a septic tank and a transformer installed in Khasra No. 152, adjacent to the colony's southern gate. The affidavit submitted by the President of Madhusudan Awas Sahakari Samiti Ltd. confirms that these installations were done by *Girraj Sahakari Awas Samiti Ltd.* and *Teerth Awas Samiti Ltd.*
- The Khasra No. 152 is affected by a 30-meter-wide road network under the Road Network Plan Zone-3, and the remaining portion of Khasra No. 152 and Khasra No. 151 falls under the Low-Density Residential Zone as per Agra Development Authority.
- The findings indicate that the applicant's allegations regarding the illegal encroachment of a park and environmental damage due to unauthorized construction are not entirely substantiated, as no designated park was found at the location outside the colony's southern gate.

15. Hence, the present Joint Committee is being submitted for the kind perusal of this Hon'ble Tribunal. It is prayed that the same be taken on record.

16. That I state that everything stated above has been stated by me in my official capacity on and derived from the official records and I state that nothing material has been concealed therefrom.




DEPONENT

VERIFICATION

Verified at AGRA on this 19 day of February, 2025, that the contents of the above affidavit from paragraphs 1 to 16 are believed to be true and correct to the best of my knowledge and belief. No part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.


DEPONENT

Case No. F/270/2025
Explained to Shri Arvind Malhotra & Bangant
Read by Garland as D.M. Agri
Who understood the contents
Solemnly affirmed & declare on
Oath on 19/2/2025
At Agra
Identified by sen


NOTARY
Pawan Kumar
Sharma Advocate
Dist. - AGRA
Regd No 2323/02
VALID-04/12/27
GOVT OF INDIA
Sen
19/2/25

Joint Committee Report in the matter of O.A No. 994 of 2024 Puran Singh Chauhan V/s State of Uttar Pradesh.

In the aforesaid matter, applicant Puran Singh Chauhan has submitted in the application that there is a park outside the gate of Manhar Green Colony at Shastripuram Sikandra, Agra which is being damaged and encroached by Bhu-mafias in as much as boundary of park has been damaged, a transformer has been placed; and Septic tank has also been constructed in park itself and thereby status of park has been changed illegally which is causing severe damage to environment.

Hon'ble National Green Tribunal was pleased to pass the direction on dated 22.10.2024 in the above O.A No. 994 of 2024 (Puran Singh Chauhan V/s State of Uttar Pradesh). The relevant part of the order is as below: -

"3. Allegations made in the complaint, in our view, do constitute prima facie a substantial question relating to environment arising due to implementation of enactments mentioned in Schedule I of NGT Act, 2010, but before proceeding further in the matter we find it appropriate to obtain a factual report for which we constitute a Joint Committee comprising District Magistrate, Agra and Uttar Pradesh Pollution Control Board.

4. District Magistrate, Agra shall be Nodal Authority for co-ordination and compliance of this order.

5. Above Committee shall visit the site, collect relevant information and submit factual Report within one month.

6. List on 25.11.2024."

In compliance of the above order District Magistrate, Agra has filed the affidavit on dt. 11.12.2024 in Hon'ble National Green Tribunal. **(Annexure-1)**

The Matter was taken up by Hon'ble National Green Tribunal on dt. 25.11.2024 and pleased to pass the direction on dated 13.12.2024 in the above O.A No. 994 of 2024 (Puran Singh Chauhan V/s State of Uttar Pradesh). The relevant part of the order is as below: -

" 4. Observations made in para 13 are self-contradictory and are also materially deficient. Construction of boundary wall, septic tank and establishment of transformer on the land in question contradicts with assertion as to the land being some other person's property. Why the boundary wall located on the left side outside the gate of colony was demolished is not mentioned. To whom the land outside the gate of colony belongs is not mentioned. When, by whom and why septic tank was constructed in the above said land is not mentioned. When, by whom and why the transformer was established in that land. The report does not mention relevant facts and has been casually prepared.

5. *The Joint Committee is directed to file complete report with all relevant facts and copies of all relevant documents within one month.*
6. *The District Magistrate, Agra is directed to file further Action Taken Report within one month with all requisite details after revisiting all the environmental issues involved.*
7. *List on 03.02.2025 for further hearing."*

In compliance of the above order the Joint Committee visited the said site on dated 27.01.2025. During the inspection Additional District Magistrate (Namami Gange), Regional Officer, U.P Pollution Control Board, Agra, Lekhpal of mauza-Mohammadpur, Tehsil-Sadar, Agra, representatives of the colony Dr. Sanjay Shalya, resident of H. No-20, Gayatri Manhar Green (Mobile No.-993548113), Shri Shyam Sunder, Shri Dharamveer Kaushik, Secretary, Gayatri Manhar Green Society were present. Shri Vishnu Dixit, Brother of Shri Hariom dixit (Builder), H.No-18, Gayatri City, Shastripuram, Agra was also present. During the inspection it was informed by the representatives of the colony that outside the South gate of the colony Septic tank was constructed for the disposal of domestic sewage on right side and transformer on the left side in the year 2010 by the builder Shri Hariom Dixit.

At the time of inspection Dr. Sanjay Shalya, Shri Shyam Sunder, Shri Devendra Chahar and Shri Dharamveer Kaushik, Secretary, Gayatri Manhar Green Society, submitted the joint statement in which it is stated that on the left hand side of the gate of Gayatri Manhar Green Society, 02Feet Height boundary wall was damaged by Shri Vishnu Dixit, Brother of Shri Hariom dixit (Builder), H.No-18, Gayatri City, Shastripuram, Agra in Dec, 2023 with the intension of possession on said plot. The greenery was also destroyed by him. The park was developed on both side of the gate by the builder of Gayatri Manhar Green Colony and demanded to develop greenery on both sides of the gate of Gayatri Manhar Green Housing Society as maintained before. **(Annexure-2)**

At the time of joint inspection Shri Vishnu Dixit, Brother of Shri Hariom Dixit (Builder), H.No-18, Gayatri City, Shastripuram, Agra also submitted the statement in which it is stated that main gate of Gayatri Manhar Green Housing Society is not towards Gayatri Public School and it is towards the North Side as mentioned in the layout approved by Agra Development Authority in the year, 2010. He also stated that no park was there at any time on the land in dispute. One temporary room on the right-hand side was destroyed by residents of Gayatri Manhar Green Colony. **(Annexure-3)**

Tehsildar, Sadar, Agra has submitted his report on 31.01.2025, in which it is stated that on 27.01.2025 the site inspection of Gayatri Manhar Green Colony at village-Mohammadpur, Tehsil- Sadar, Agra was done by Joint Committee and asked for the details of disputed land. The report is as below:-

- As per the Khatauni document Gayatri Manhar Green Colony was developed at Khasra No-151A &151B, village-Mohammadpur, Tehsil- Sadar, Agra. Khasra no-151 which is registered in the name of Girraj Sahakari Awas Samiti Ltd.
 - On matching at the site, the said disputed land is part of Khasra No-152 of village-Mohammadpur. Khasra No-152/1 is registered in the name of Development Authority, Agra, Girraj Sahakari Awas Samiti Ltd. and Navrang Sahakari Awas Samiti Ltd., Agra and Khasra No-152/2 is registered in the name of Madhusudan Awas Sahakari Samiti Ltd., Agra.
 - On the right-hand side of Gayatri Manhar Green Colony, land is lying vacant, where Septic Tank for the colony is constructed. A transformer has been placed at left-hand side of the gate and rest of the land is vacant and approx. 1.5 Feet height curve stone was partially damaged, where some castor plants found.
- (Annexure-4)**

Present President of Madhusudan Awas Sahakari Samiti Ltd., Agra submitted the affidavit on dt. 21.01.2025 in which he has mentioned that Girraj Sahakari Awas Samiti Ltd and Teerth Awas Sahakari Samiti Ltd together developed the society named Manhar Green Housing Society and get map approved from Agra Development Authority. The neighborhood land in is in the name of M/s Madhusudan Awas Sahakari Samiti Ltd. and we were informed by both the societies that we will develop your colony too. That is why the transformer and sewer tank were constructed in this land. According to the layout the gate of Manhar Green Society is not here. The complaint of the complainant is baseless and we have not interfered in their colony. At present the Deed of the disputed plots has been done by M/s Madhusudan Awas Sahakari Samiti Ltd. in the name of Shri Rajesh Singh. **(Annexure-5)**

Regional Officer, U.P. Pollution Control Board vide letter dt.27.01.2025 requested Town Planner, Agra Development Authority to provide information about the land use of Gata No-151 & 152 of Mauza-Mohammadpur, Agra as per the Master Plan. **(Annexure-6)**

Town Planner, Agra Development Authority vide letter dt. 28.01.2025 informed that the land use of Gata No-151 & 152 of Mauza-Mohammadpur, Tehsil-Sadar, Agra is residential (Low Density). **(Annexure-7)**

Again Regional Officer, U.P. Pollution Control Board vide letter dt.13.02.2025 requested Town Planner, Agra Development Authority to provide information about the main entrance of the Gayatri Manhar Green Colony as per the layout approved by Agra Development Authority. **(Annexure-8)**

Town Planner, Agra Development Authority vide letter dt. 13.02.2025 informed that as per the Road Network Plan Zone-3 in front of the site, a 12.00 M wide road is specified in front of the land of the questioned Khasra no-151. **(Annexure-9)**

It was observed that there were two gates of the colony, one on North side which remains close, having approx.10ft. road in front of gate which ultimately meets at the distance of approx. 550Mt with the main road called 100ft. Lakhanpur road and one on South side which is usually used by the residents of Gayatri Manhar Green Society, having approx. 30ft. road in front of gate which also ultimately meets at the distance of approx. 200Mt with the main road called 100ft. Lakhanpur road.

Shri Dharamvir Kaushik, Sachiv, Gayatri Manhar Green Society submitted an affidavit dt. 06.02.2025, in which it is stated that in the registry papers of house no-20 on page no. 05 it is mentioned that the land of house no. 20 is 100Mt. away from the main road. **(Annexure-10)**



North Gate of Colony





Road in front Of North Gate of Colony



South Gate of the Colony





Observation:

As per the Tehsildar, Sadar, Agra report dt. 31.01.2025 the septic tank was constructed in Khasra no-152 on the right side outside the South gate of colony, Mauza-Mohammadpur & transformer was also established in Khasra no-152 on the left side outside the South gate of colony, Mauza-Mohammadpur. On the left side outside the South gate of colony some castor plants were found. Present president of M/s Madhusudan Awasthi Sahakari Samiti Ltd. informed through affidavit that both the societies (Girraj Sahakari Awasthi Samiti Ltd and Teerth Awasthi Sahakari Samiti Ltd) informed that they will develop your colony too. That is why the transformer and sewer tank were constructed in the land (Khasra no-152) Mauza-Mohammadpur.

The septic tank was constructed on the right side outside the South gate of colony, so no plantation can be done above the septic tank. On the left side outside the South gate of colony some castor plants were found. Presently septic tank which caters the domestic sewage of the Gayatri Manhar Green Housing Society has been connected with the sewer network which ultimately meets with 36MLD terminal STP located at Sadarvan Bichpuri, Agra

The factual joint report is being submitted for your kind perusal and necessary action.

MSK
18/12/25
Regional Officer
U.P Pollution Control Board, Agra



[Signature]
Additional District Magistrate
(Namami Gange). Agra

[Signature]
District Magistrate
Agra

शुद्धी - कानूनी विभाग द्वारा 23 अक्टूबर 2017 को जारी किया गया है।
 क्र. सं. 12, 19, 52, 53, 57 तथा क्रम 71/2017
 शुद्धी सं. 10, 15, 25, 26, 39, 48, 49, 51, 55, 63/2017
 कर A & Z, A, G, P, नगर में स्थित है।
 25/11/10
 25/11/10

आगत का क्र. - विधिक के पत्र सं. के वि. है।
 यह स्वीकृति उत्तर में ही मंगल सोसायटी को प्रदान की जायेगी।
 अधिनियम 1973 के अन्तर्गत अधिनियम संख्या 14
 1973 की धारा 5 के अन्तर्गत (3) एवं इस विधय में
 उल्लेखित नियमों के अन्तर्गत को यह है।
 इस स्वीकृति से न मान्यता कोई अधिकार प्राप्त होगा।
 न कोई, अधिनियम 1973 के अन्तर्गत प्रदान किया गया होगा।
 कि उसके साथ कोई कानूनी दायित्व (Estoppel) के
 अधिनियम Admission को मान्यता न देकर को
 मान्यता अधिनियम के अन्तर्गत विधिक अधिकार एवं प्रदान
 न किया गया है। कानूनी मान्यता प्रदान।
 (2) अनुदान के साथ संलग्नक 1 एवं 2 के
 प्रस्तावों के अनुसंधान कार्य करा होगा।
 - अधिनियम स्वीकृत

25/11/10
 नगर विकास प्राधिकरण
 25/11/10



DPS

KEY PLAN

प्रस्तावित स्थान पर देवादार
 हार्बिस्टम सिस्टम का प्राथमिक
 करना होगा।

PLOT AREA STATEMENT			
Plot No.	Quantity	PLOT AREA	Total AREA
1	Residential	92.06	628.54
2	Residential	129.79	129.79
3	Residential	92.06	92.06
4	Residential	88.18	88.18
5	Residential	142.86	142.86
6	Residential	95.01	95.01
7	Residential	91.26	91.26
8	Residential	87.57	87.57
9	Residential	85.02	85.02
10-24	Residential	95.06	460.30
25	Residential	102.90	102.90
26	Residential	113.99	113.99
27-37	Residential	92.96	1022.96
38	Residential	112.17	112.17
39	Residential	159.18	159.18
40-50	Residential	92.96	1022.96
51	Residential	137.92	137.92
52	Residential	118.21	118.21
53	Residential	112.19	112.19
54	Residential	119.72	119.72
55	Residential	155.75	155.75
56	Residential	152.93	152.93
57	Residential	154.29	154.29
58	Residential	87.12	87.12
59-62	Residential	92.06	368.24
63	Residential	90.80	90.80
Total	81.90	Nos.	8,141.28
3. Commercial	1	Residential	142.86
Total	7.50	Nos.	142.86
4. Park & Green Belt	1	Residential	1452.48
2	Residential	121.15	121.15
Total	2.00	Nos.	1,573.63

Area Chart (Area in SqM)		
Total Land Area	10,803.37	%age
Land Area for Road Widening	364.29	
Net Land Area	10,439.12	
Area under Residential Plot	8,141.28	56.66
Area under Utility shopping	142.86	1.38
Total Plot Area	8,284.06	60.02
Area Under Park	1,573.83	15.00
Area Under Road	2,539.70	24.26
Area Under Dab Ghar	71.73	0.66

REFERENCE	
PROPOSED CONST	
OTHERS PROPERTY	
DRAINAGE/ SEWAGE	

PROPOSED RESIDENTIAL LAYOUT PLAN OF MANHAR GREENS SITUATED AT KHASRA NO 151 OF MAUZA MOHAMMAD PUR, AGRA

North
 SCALE 1:500



Owner's
 SHRI BIRJI SAKHAI AVAS SAMITI LTD
 SECRETARY

Engineer's Sign
Er. Daya Shanker Sharma
 B.E (Civil), Approved Valuer
 CAT/P-1918 (The Indian Institution of Valuers)
 G-54762-4 (The Institution of Engineer Education) Daya Shanker Sharma
 M No. 30604 (India)

MODCON
 A GROUP OF ARCHITECTS, ENGINEERS & VALUERS
 HEAD OFFICE -
 G-5, 57/2 KAVERI CENTRE, SANJAY PLACE, AGRA
 PH NO 2522511(R), 2660211(R), 992705631(M)

NOTE:- LOCATION & QUANTITY OF RAIN WATER HARVESTING SYSTEM CAN BE CHANGED DESIGN & SITE CONDITION

महोदय


मीमान ए.डी.एम महोदय नमामि गौं द्वारु दिनांक 27-01/25 को ग्राम- मुहम्मदपुर तहसील आगरा द्वारा ^{गांधी} मनहर ग्रीन - आवासीय कालोनी का स्थल निरीक्षण किया गया। मीमानजी द्वारा स्थल पर उक्त कालोनी के दक्षिण में स्थित गेट के शाले के दोनों ओर की भूमि का - अमिलेखीय विवरण चाहा गया है, जिसके विषय में -
 - आमिलेखीय खतौली में खसरा सं० 151 अ, 151 ब स्थित ग्राम- मुहम्मदपुर तहसील आगरा में गांधी मनहर ग्रीन कालोनी बनी है। जिसकी खतौली संलग्न के अनुसार 151/1.2640 है। तथा - खसरा सं० 152 मुहम्मदपुर की खतौली संलग्न है। स्थल पर मिलान से उक्त पश्चिमगत भाग खसरा सं० - 152 का भाग है। जिसकी खतौली संलग्न है। अर्थात् - संलग्न है। ~~उक्त~~ उक्त गेट के सामने शाले के बायीं ओर भूमि रिक्त पड़ी है, जिसमें कालोनी का S.T.P. बना हुआ बताया गया है। तथा बायीं ओर त्रिकोणित भूमि में एक ड्रानसपात्र लगा है तथा स्थल पर भूमि रिक्त है, जिसकी वाउचरीवाक लगभग 1/2 फीट ऊंची आंशिक रूप से प्रतिगुला है। जिसमें बायीं ओर ऊष्ण के पेड़ रहे हैं।
 आरव्वा शादा' देहि है।

महोदय,
 संप्रेषित
 31.01.2025
 फेल

सर्वप्रथम आरव्वा संप्रेषित
 31/01/25
 94 (B)

31/01/25
 किराज पाल सिंह (लेखपाल)
 तहसील - सदर
 जिला - आगरा

खेत की संख्या	क्षेत्रफल बन्दोबरती बीघा अथवा एकड़ों में	खतौनी खाते की संख्या	खतौनी के प्रथम भाग वर्गीकरण के अनुसार खातेदार का नाम	खतौनी के भाग के वर्गीकरण के अनुसार खातेदार का नाम यदि कोई हो	सिंचाई की रीति और कुएँ	कृषिक (फसल वाली भूमि का क्षेत्रफल)						मिलान खसरा के रसम के अनुसार अकृषिक विना फसल वाला	प्रत्येक खेत के पूरे बड़े वृक्ष की संख्या और किरम	टिप्पणी							
						खरीफ		रबी		जायद					दो फसली क्षेत्रफल		भूमि की श्रेणी	क्षेत्रफल			
१	२	३		५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१	
151	1.264 83	3	श्रीमती लखिबारी सिंहवा 121212 महोदय मारी श्री झांग प्रथम सिंचाई सिंचन क्षेत्र महे. प्रमो मारी मारा झांग मभापारी एरीशोकर लवारीपा	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	श्रीमती लखिबारी सिंहवा	-	-	-	-
152/20-67471			महु मूदर महोदय मारी श्री मारा झांग मारी मारा प्रथम श्रीमती लखिबारी सिंहवा दयाल प्रोड प्रथम श्री लखिबारी लखिबारी रोड मू मारा झांग पारि सुवाल मारी	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	श्रीमती लखिबारी सिंहवा	0-674	-	-	-


 23/01/25
 and

खेत की संख्या	क्षेत्रफल बन्दोबरती बीघा अथवा एकड़ों में	खतौनी खाते की संख्या	खतौनी के प्रथम भाग वर्गीकरण के अनुसार खातेदार का नाम	खतौनी के भाग के वर्गीकरण के अनुसार खातेदार का नाम यदि कोई हो	सिंचाई की रीति और कुएँ	कृषिक (फसल वाली भूमि का क्षेत्रफल)												प्रत्येक खेत के पूरे बड़े वृक्ष की संख्या और किरम	टिप्पणी	
						क्षेत्रफल		क्षेत्रफल		क्षेत्रफल		क्षेत्रफल		क्षेत्रफल		क्षेत्रफल				
१	२	३	४	५	६	क्षेत्रफल	खरीफ	रबी	जायद	वो फसली क्षेत्रफल	मिलान खसरा के रसम के अनुसार अकृषिक बिना फसल वाला	भूमि की श्रेणी	क्षेत्रफल	२०	२१					
152/1/0.691 156			खतौनी के प्रथम भाग वर्गीकरण के अनुसार खातेदार का नाम	खतौनी के भाग के अनुसार वर्गीकरण के अनुसार खातेदार का नाम यदि कोई हो	सिंचाई की रीति और कुएँ	फसल का नाम	सिंचा हुआ	अन सिंचा	फसल का नाम	सिंचा हुआ	अन सिंचा	फसल का नाम	सिंचा हुआ	अन सिंचा	सिंचा हुआ	अन सिंचा	भूमि की श्रेणी	क्षेत्रफल	२०	२१
52/1/0.365 30			खतौनी के प्रथम भाग वर्गीकरण के अनुसार खातेदार का नाम	खतौनी के भाग के अनुसार वर्गीकरण के अनुसार खातेदार का नाम यदि कोई हो	सिंचाई की रीति और कुएँ	फसल का नाम	सिंचा हुआ	अन सिंचा	फसल का नाम	सिंचा हुआ	अन सिंचा	फसल का नाम	सिंचा हुआ	अन सिंचा	सिंचा हुआ	अन सिंचा	भूमि की श्रेणी	क्षेत्रफल	२०	२१

खतौनी के प्रथम भाग वर्गीकरण के अनुसार खातेदार का नाम

खतौनी के भाग के अनुसार वर्गीकरण के अनुसार खातेदार का नाम यदि कोई हो

सिंचाई की रीति और कुएँ

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

महाराज

20/10/15

भारती

3-365

1/2/3

4/5



उद्धरण खतौनी (शासकीय)



उद्धरण क्रमांक : 12457420250114

ग्राम क्रमांक : 124574 ग्राम का नाम (परगना) : मुहम्मदपुर (आगरा)

(1) खाता संख्या : 00083

तहसील : आगरा

जनपद : आगरा

फसली वर्ष : 1425-1430 (01 जुलाई, 2017 से 30 जून, 2023)

भाग : 1

श्रेणी : 1-क / भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरो के अधिकार में हो।

खातेदार का विवरण

खातेदारी प्रारम्भ होने का विवरण

भूमि का विवरण

खातेदार का अंश

खसरा/गाटा संख्या	(2) नाम/पिता-पति-सरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं० (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं० (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(3) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / जात का आधार	(4) वर्ष	(5) गाटा (यूनीक कोड)	(6) गाटे का कुल क्षेत्रफल (हे.)	(7) हिस्से में	(8) क्षेत्रफल में (हे.)	(9) खातेदार द्वारा देय भू-राजस्व
151	मूला / विपती / नि. ग्राम भगवान दास / बुद्धा / नि. ग्राम रनवीर / बुद्धा / नि. ग्राम श्रीमती लीलावती विधवा / बुद्धा / नि. ग्राम गिरिज सह0 आ0समि0लि0 द्वारा / - / - अथवा गिरिज मितल / मोतीलाल / नि0 ई 7/43 कमलानगर आगरा नवरंग सह0 आ0 समि0 आगरा / - / - द्वारासभापति हरीशंकर लवानिया / रामबाबू लवानिया / नि0 अयोधा कुज आगरा		1410फ.	151(1245740151000012)	1.2640			48.90

कुल गाटे- एक कुल क्षेत्रफल- एक दशमलव दो छः चार शून्य (हेक्टेयर) कुल भू-राजस्व - चार आठ दशमलव नौ शून्य रुपये

नामान्तरण / परिवर्तन का विवरण

खारिज किया गया

दर्ज किया गया

(10) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / नामान्तरण का आधार / डिजिटल हस्ताक्षर नाम / डिजिटल हस्ताक्षर दिनांक	(11) नाम / पिता-पति-सरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं० (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं० (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(12) गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड	(13) क्षेत्रफल (हे.)	(14) नाम / पिता-पति-सरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं० (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं० (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(15) गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड	(16) क्षेत्रफल (हे.)

(17) भूमि के सम्बन्ध में विचाराधीन राजस्व वाद/वादों की कम्प्यूटरीकृत संख्या :

(18)बंधक-मुक्त होने की स्थिति

(18.1)बंधक होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक)) :

(18.2)बंधक-मुक्त होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक-मुक्त का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक)) :

(19)अभ्युक्ति :

पूर्व आदेशों का विवरण

- 1) 1416फः- कार्यालय उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, 104 महात्मा गांधी मार्ग लखनऊ पत्रांक सं0 585 के /सह0 दि0 24 फरबरी 2006 के अनुसार आये श्री ती0के0 चौधरी संयुक्त आवास आयुक्त/संयुक्त निबंधक के आदेश के अनुसार नवरांश सह0आ0समिति लि0 अगारा उ0प्र0 सह0 समिति अधिनियम 1965एवं नियमावली 1968 के अन्तर्गत
- 2) निबन्धन संख्या 970 दि0 5-8-85है, समिति की प्रबन्ध कमेटी ने अपनी बैठक दि0 27-11-05 के प्रस्ताव सं03द्वारा समिति एवं उसकी परिसमर्तियों को विभाजन करने का निर्णय लिया है एवं इस स्तर से अग्रेतर कार्यवाही का अनुरोध किया है कार्यालय के आदेश पत्रांक 3141 /सह0 / दि0 01-12-05 द्वारा उ0प्र0सह0समिति
- 3) अधिनियम 1965 की धारा 16 के अन्तर्गत समिति को 02 समिति विभाजन सम्बन्धी निर्देश समिति सचिव को दिये समिति ने इस उद्देश्य को दि0 20-12-05 को विशेष सामान्य निकाय की बैठक अहूत किया तथा प्रस्ताव संख्या 3 द्वारा समिति को 02 समितियों श्री रामानुज सह0आ0समिति लि0 अगारा व श्री तीर्थ सह0आ0समिति लि0 अगारा में विभाजित
- 4) करने विषयक प्रारम्भिक संकल्प पारित किया और प्रारम्भिक संकल्प पारित होने की तिथि से समिति ने एक माह के भीतर सभी सदस्यों से अधिनियम की धारा 15(2) (ख) के उपबन्धी के अनुसार आपत्तियाँ आमतिरत की परन्तु निर्धारित समयवाधि के भीतर किसी भी सदस्य ने आपत्ति प्रस्तुत नहीं की यतः दि0 20-12-05 को पारित
- 5) प्रारम्भिक संकल्प को अन्तिम रूप देने हेतु दि0 7-2-08 पुनः विशेष सामान्य निकाय की बैठक बुलायी गयी जिसमें प्रस्ताव सं0 3 में पारित प्रारम्भिक संकल्प को मूलरूप में स्वीकार किया गया तथा समिति ने दि0 20-12-05 की बैठक के प्रस्ताव सं0 5द्वारा श्री रामानुज सह0आ0 समिति लि0 अगारा एवं श्री तीर्थ सह0आ0समिति लि0 अगारा
- 6) के मध्य परसमर्तियों एवं दायित्वा का विभाजन निम्न प्रकार किया गया श्री तीर्थ सह0आ0समिति लि0 अगारा 1-मुहम्मदपुर गा0सं0 152/1 रकबा 0.8064 है0 2-मुहम्मदपुर गा0सं0 152/1 रकबा 0.8064 है0 3-मुहम्मदपुर गा0सं0 151अव रकबा 0.5760 है0 4 मुहम्मदपुर गा0सं0 152/1 रकबा 0.4378 है0
- 7) 5- मुहम्मदपुर गा0सं0 151 रकबा 0.576 है0 का नाम सं0भू0 द्वारा परवाना दर्ज हो हो अरर0 के0 18-8-08 23-8-08

Data Digitally Signed by: CHANDRA PRAKASH RAJPUT (REGISTRAR KNOONCO)

दिनांक समयास्थान: 28-01-2025 05:23:38 तहसील : अगारा

1 पर उद्धारण खतौनी इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल सिग्नेचर द्वारा तैयार की गयी है तथा डाटा डिजिटल हस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षरित है।

मुद्रित कर्ता : SHANTISWAROOP तहसील : अगारा

मुद्रित दिनांक एवं समय: 28-01-2025 05:23:38

1 Not Applicable For Online Prints 1 उपर्युक्त उद्धारण खतौनी का वैसीकेशन <https://nphindia.gov.in> Website पर जाकर अथवा QR Code Scan करके किया जा सकता है।





उद्धरण खतौनी (शासकीय)



उद्धरण क्रमांक : 12457420250115

ग्राम क्रमांक : 124574 ग्राम का नाम (पर्यन्त) : मुहम्मदपुर (आगरा) तहसील : आगरा जनपद : आगरा फसली वर्ष : 1425-1430 (01 जुलाई, 2017 से 30 जून, 2023) भाग : 1

(1) खता संख्या : 00030

श्रेणी : 1-क / भूमि जो सार्वजनिक भूमिधरो के अधिकार में हो।

खातेदार का विवरण		खातेदारी प्रारम्भ होने का विवरण		भूमि का विवरण		खातेदार का अंश		
खसरा/गाटा संख्या	(2) नाम/पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं० (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं० (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(3) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / जोत का आधार	(4) वर्ष	(5) गाटा (यूनीक कोड)	(6) गाटे का कुल क्षेत्रफल (हे.)	(7) हिस्से में	(8) क्षेत्रफल में (हे.)	(9) खातेदार द्वारा देय भू-राजस्व
152/1मि	गिरिज सह0आ0 समि0 लि0 आगरा / - / - सभापति गिरिज मितल / मोती लाल / नि0 सुभाष नगर कमलानगर आगरा नवरंग सह0 आ0 समि0 लि0द्वारा / - / - सभापति हरीशंकर लवानियां / रामबाबू लवानियां / अयोधा कंज आगरा गिरिज सिंह / रेशम सिंह / नि. ग्राम निरात्म सिंह / रेशम सिंह / नि. ग्राम रामचन्द्र / रेशम सिंह / नि. ग्राम शुभम हाउसिंग एक12 दयाल आर्केड अपो0 श्रीटाकीज / ... / बाई पास रोड न्यू आगरा द्वारा पार्टनर निखिल पातीवाल / निरंजन पातीवाल / नि0 3नेहरूनगर आगरा		1410फ	152/1मि(1245740152300112)	3.3650			107.20
नामान्तरण / परिवर्तन का विवरण		खारिज किया गया		दर्ज किया गया				
(10) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / नामान्तरण का आधार / डिजिटल हस्ताक्षर नाम / डिजिटल हस्ताक्षर दिनांक	(11) नाम / पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं० (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं० (6-9)	(12) गाटे का खसरा नम्बर	(13) क्षेत्रफल (हे.)	(14) नाम / पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं० (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं० (6-9 स्थान के	(15) गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड	(16) क्षेत्रफल (हे.)		

9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	यूनीक कोड	अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)
------------------------------------------------	-----------	-------------------------------------

(17) भूमि के सम्बन्ध में विचाराधीन राजस्व वाद/वादों की कम्प्यूटरीकृत संख्या :

(18) बंधक/बंधक-मुक्त होने की स्थिति

(18.1) बंधक होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक)) :

(18.2) बंधक-मुक्त होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक-मुक्त का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक)) :

(19) अभ्युक्ति :

पूर्व आदेशों का विवरण

- 1) 1410क व आदेश श्रीमान परराना अथि0 सदर वाद सं0 27/02-03 दि0 26-11-02 के अनुसार गिराज मितल पुत्र मोती लाल के गा0 सं0 152/1मि 3.365 को उ0 प्र0 जो वि0 अथि0 की धारा 143 (3) के अन्तर्गत आबादी घोषित की गयी ह0 लै0 20-12-05
- 2) 1416कः- कार्यालय उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, 104 महात्मा गांधी मार्ग लखनऊ पत्राक सं0 585 के /सह0 दि0 24 फरबरी 2006 के अनुसार अये श्री वी0के0 चौधरी संयुक्त आवास आयुक्त/संयुक्त निबन्धक के आदेश के अनुसार नवरा सह0आ0समिति लि0 आगरा उ0प्र0सह0 समिति अधिनियम 1965 एवं नियमावली 1968 के अन्तर्गत
- 3) निबन्धन संख्या 970 दि0 5-8-85 है, समिति की प्रबन्ध कमेटी ने अपनी बैठक दि0 27-11-05 के प्रस्ताव सं03 द्वारा समिति एवं उसकी परिसमप्तियों को विभाजन करने का निर्णय लिया है एवं इस स्तर अग्रेतर कार्यवाही का अनुरोध किया है कार्यालय के आदेश पत्रांक 3141/सह0/दि0 1-12-05 द्वारा उ0प्र0सह0समिति
- 4) अधिनियम 1965 की धारा 16 के अन्तर्गत समिति को 02 समिति विभाजन सम्बन्धी निर्देश समिति सचिव को दिये समिति ने इस उद्देश्य को दि0 20-12-05 को विशेष सामान्य निकाय की बैठक आहूत किया तथा प्रस्ताव सं03द्वारा समिति को 02 समितियों श्री रामानुज सह0आ0समिति आगरा व श्री तीर्थ सह0आ0समिति आगरा में विभाजित
- 5) करने विषयक प्रारम्भिक संकल्प पारित किया और आरम्भिक संकल्प पारित होने की तिथि से समिति ने एक माह के भीतर सभी सदस्यों से अधिनियम की धारा 15(2) (ख) के उपबन्धों के अनुसार आपत्तियाँ आमंत्रित की परन्तु निर्धारित समयवधि के भीतर किसी भी सदस्य ने आपत्ति प्रस्तुत नहीं की यतः दि0 20-12-05 को पारित
- 6) प्रारम्भिक संकल्प को अंतिम रूप प देने हेतु दि0 7-2-08 पुनः विशेष सामान्य निकाय की बैठक आमन्त्रित बुलाई गयी जिसमें प्रस्ताव सं0 3में पारित प्रारम्भिक संकल्प को मूलरूप में स्वीकार किया गया तथा समिति ने दि0 20-12-05 की बैठक के प्रस्ताव सं0 5 द्वारा श्री रामानुज सह0आ0समिति आगरा एवं श्री तीर्थ सह0आ0समिति
- 7) आगरा के मध्य परसमप्तियों एवं दायित्वों का विभाजन निम्न प्रकार किया गया श्री तीर्थ सह0आ0समिति लि0 आगरा1-मुहम्मदपुर गा0सं0 152/1 रकवा 0.8064 है02-मुहम्मदपुर गा0सं0 152/1 रकवा 0.8064 है0 3- मुहम्मदपुर गा0सं0 151 अ व 151व रकवा 0.5760 है0 4- मुहम्मदपुर गा0सं0 152/1 रकवा 0.4378 है0
- 8) 5- मुहम्मदपुर गा0सं0 151 रकवा 0.5760 है0 का नाम सं0 भू0 द्वारा परवाना दर्ज हो ह0आर0के0 18-8-08/23-8-08
- 9) 1430क व आदेश श्रीमान तह0महो0 सदर आगरा के वाद सं0 T2023010101000949 दि0 10-04-23 के अनुसार गाटा संख्या 152/1मि रकवा 3.3650 है0 में से आंशिक रकवा 0.845461 है0 लगान 60ख अनुसार से विक्रेता श्री गिराज सहकारी आवास समिति लि0 आगरा द्वारा सावित्रीके0 चिन्दल पुत्र श्रीनिवास चिन्दल वर्तमान सभापति गिराज मितल पुत्र मोतीलाल मितल निवासी सुभाष नगर, कमला नगर, आगरा का नाम पृथक करके उसके स्थान पर क्रेता राधा रानी शर्मा पत्नी बी0एम0 चतुर्वेदी निवासी घटिया आजम खं, आगरा वहीसियत डाररेक्टर राधा एजूकेशन प्रा0लि0 मण्डी सर्ईट खं आगरा का नाम बतौर सं0भू0 द्वारा बैनामा दर्ज हो ह0आर0के0 10-04-23
- 10) 1430क व आदेश श्रीमान तह0महो0 सदर आगरा के वाद सं0 T2023010101000945 दि0 10-04-23 के अनुसार गाटा संख्या 152/1मि रकवा 3.3650 है0 में से आंशिक रकवा 0.110730 है0 लगान 60ख अनुसार से विक्रेता श्री तीर्थ सह0आ0समिति आगरा द्वारा वर्तमान अधिकृत सचिव निरंजन पालीवाल पुत्र श्री महेश चन्द पालीवाल निवासी 3, नेहरू नगर हरीपर्वत वाड शहर आगरा का नाम पृथक करके उसके स्थान पर क्रेता प्रदुम्न चतुर्वेदी पुत्र डा0 बृज मोहन चतुर्वेदी निवासी 14/194-ए वजीर पुरा रोड हरीपर्वत वाड शहर आगरा का नाम बतौर सं0भू0 द्वारा बैनामा दर्ज हो ह0आर0के0 10-04-23
- 11) 1430क व आदेश श्रीमान तह0महो0 सदर आगरा के वाद सं0 T2023010101000946 दि0 10-04-23 के अनुसार गाटा संख्या 152/1मि रकवा 3.3650 है0 में से आंशिक रकवा 0.167216 है0 लगान 60ख अनुसार से विक्रेता श्री तीर्थ सह0आ0समिति आगरा द्वारा वर्तमान अधिकृत सचिव निरंजन पालीवाल पुत्र श्री महेश चन्द पालीवाल निवासी 3, नेहरू नगर हरीपर्वत वाड शहर आगरा का नाम पृथक करके उसके स्थान पर क्रेता मैसर्स जी0पी0एस0 स्टीपिना स्टीप्स आगरा द्वारा वर्तमान भगीदार व अधिकृत हस्ताक्षरी श्री प्रदुम्न चतुर्वेदी पुत्र डा0 बृज मोहन चतुर्वेदी एवं श्रीमती रजनी मोहन चतुर्वेदी पुत्री श्री आई आर मेमन निवासी 14/194-ए वजीर पुरा रोड हरीपर्वत वाड शहर आगरा का नाम बतौर सं0भू0 द्वारा बैनामा दर्ज हो ह0आर0के0 10-04-23
- 12) 1430क व आदेश श्रीमान तह0महो0 सदर आगरा के वाद सं0 T2023010101000947 दि0 10-04-23 के अनुसार गाटा संख्या 152/1मि रकवा 3.3650 है0 में से आंशिक रकवा 0.167229 है0 लगान 60ख अनुसार से विक्रेता श्री गिराज सहकारी आवास समिति लिमिटेड आगरा द्वारा वर्तमान अधिकृत अध्यक्ष श्री गिराज मितल पुत्र श्री मोती लाल मितल निवासी सुभाष नगर कमला नगर आगरा का नाम पृथक करके उसके स्थान पर क्रेता मैसर्स जी0पी0एस0 स्टीपिना स्टीप्स आगरा द्वारा वर्तमान भगीदार व अधिकृत हस्ताक्षरी श्री प्रदुम्न चतुर्वेदी पुत्र डा0 बृज मोहन चतुर्वेदी निवासी 14/194-ए मण्डी सर्ईट खं वजीर पुरा रोड हरीपर्वत वाड शहर आगरा का नाम बतौर सं0भू0 द्वारा बैनामा दर्ज हो ह0आर0के0 10-04-23
- 13) 1430क व आदेश श्रीमान तह0महो0 सदर आगरा के वाद सं0 T2023010101000948 दि0 10-04-23 के अनुसार गाटा संख्या 152/1मि रकवा 3.3650 है0 में से आंशिक रकवा 0.0461 है0 लगान 60ख अनुसार से विक्रेता रामनन्द पुत्र रेशम सिंह निवासी ग्राम मुहम्मदपुर तह0 व जिंला आगरा का नाम पृथक करके उसके स्थान पर क्रेता राधा एजूकेशन प्राइवेट लिमिटेड आगरा द्वारा अधिकृत निदेशक एवं हस्ताक्षरी श्री प्रदुम्न चतुर्वेदी पुत्र डा0 बृज मोहन चतुर्वेदी निवासी 14/194-ए मण्डी सर्ईट खं, हरीपर्वत वाड शहर आगरा का नाम बतौर सं0भू0 द्वारा बैनामा दर्ज हो ह0आर0के0 10-04-23

Data Digitally Signed by: SHANTI SWAROOP (REVENUE INSPECTOR)

दिनांक/समय/स्थान: 28-01-2025 05:23:51 तहसील : आगरा

यह उद्घरण खतौनी इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल सिस्टम द्वारा तैयार की गयी है तथा डाटा डिजाइन हस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षरित है।

मुद्रित कर्ता : SHANTISWAROOP तहसील : आगरा

मुद्रित दिनांक एवं समय: 28-01-2025 05:23:51

Not Applicable For Online Prints उपरोक्त उद्घरण खतौनी का वेबसाइट <https://uphalekh.gov.in> पर जाकर अथवा QR Code Scan करके किया जा सकता है।





उद्धरण खतौनी (शासकीय)



ग्राम क्रमांक : 124574 ग्राम का नाम (परगना) : मुहम्मदपुर (आगरा) तहसील : आगरा जनपद : आगरा फसली वर्ष : 1425-1430 (01 जुलाई, 2017 से 30 जून, 2023) भाग : 1
(1) खाता संख्या : 00071

उद्धरण क्रमांक : 12457420250116

श्रेणी : 1-क / भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरो के अधिकार में हो।

खातेदार का विवरण		खातेदारी प्रारम्भ होने का विवरण		भूमि का विवरण		खातेदार का अंश		
खसरा/ गाटा संख्या	(2) नाम/पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं० (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं० (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(3) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / जोत का आधार	(4) वर्ष	(5) गाटा (यूनीक कोड)	(6) गाटे का कुल क्षेत्रफल (हे.)	(7) हिस्से में	(8) क्षेत्रफल में (हे.)	(9) खातेदार द्वारा देय भू-राजस्व
152/2	मधु सूदन सह0आ0समि0लि0 / - / - आगरा द्वारा सचिव / - / - अनुराग अग्रवाल / त्रिलोकचन्द्र अग्रवाल / सुभाषनगर आगरा श्रीनिकेतन डवलपर्स एफ12 दयाल आर्केड अपो0 / ... / ... श्री टाकीज बार्डपास रोड न्यू आगरा द्वारा पार्टनर / ... / ... युगलकिशोर अग्रवाल / श्रीनिवासअग्रवाल / नि० ई-743 कमलानगर आगरा		1413फ	152/2(1245740152100212)	0.6740			20.28
कुल गाटे- एक कुल क्षेत्रफल- शून्य दशमलव छः सात चार शून्य (हैकटेयर)		कुल भू-राजस्व - दो शून्य दशमलव दो आठ रुपये						
नामान्तरण / परिवर्तन का विवरण				खारिज किया गया		दर्ज किया गया		
(10) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / नामान्तरण का आधार / डिजिटल हस्ताक्षर नाम / डिजिटल हस्ताक्षर दिनांक	(11) नाम / पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं० (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं० (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(12) गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड	(13) क्षेत्रफल (हे.)	(14) नाम / पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं० (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं० (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(15) गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड	(16) क्षेत्रफल (हे.)		

(17) भूमि के सम्बन्ध में विवादाधीन राजस्व वाद/वादों की कम्प्यूटरीकृत संख्या :

(18) बंधक/बंधक-मुक्त होने की स्थिति

(18.1) बंधक होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक)):

(18.2) बंधक-मुक्त होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक-मुक्त का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक)):

(19) अभ्युक्ति :

पूर्व आदेशों का विवरण

Data Digitally Signed by: CHANDRA PRAKASH RAJPUT (REGISTRAR KNOONGO)
दिनांक/समय/स्थान: 28-01-2025 05:24:00 तहसील : आगरा

❶ यह उद्घरण खतौनी इलेक्ट्रॉनिक डिजीटरी सिस्टम द्वारा तैयार की गयी है तथा जाल डिजीटल हस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षरित है।

मुद्रित कर्ता: SHANTISWAROOP तहसील : आगरा

मुद्रित दिनांक एवं समय: 28-01-2025 05:24:00

❶ Not Applicable For Online Prims ❶ उपरोक्त उद्घरण खतौनी का

वेरीफिकेशन <https://nphubdelhi.gov.in> Website पर जाकर अथवा QR

Code Scan करके किया जा सकता है।





उद्धरण खतौनी (शासकीय)



उद्धरण क्रमांक : 12457420250117

ग्राम क्रमांक : 124574 ग्राम का नाम (परगना) : मुहम्मदपुर(आगरा) तहसील : आगरा जनपद : आगरा फसली वर्ष : 1425-1430 (01 जुलाई, 2017 से 30 जून, 2023) भाग : 1

(1) खाता संख्या : 00156

श्रेणी : 6-2 / अकृषिक भूमि - स्थल, सड़कें, रेलवे, भवन और ऐसी दूसरी भूमियां जो अकृषित उपयोगों के काम में लयी जाती हो।

खातेदार का विवरण

खातेदारी प्रारम्भ होने का विवरण

भूमि का विवरण

खातेदार का अंश

खसरा/गाटा संख्या	(2) नाम/पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं० (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं० (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(3) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / जीत का आधार	(4) वर्ष	(5) गाटा (यूनीक कोड)	(6) गाटे का कुल क्षेत्रफल (हे.)	(7) हिस्से में	(8) क्षेत्रफल में (हे.)	(9) खातेदार द्वारा देय भू राजस्व
152मि./1	1) विकास प्राधिकरण आगरा/./. 2) सिकन्दर आवास योजना/./.			152मि./1(1245740152200162)	0.6910	1) 1/1 2) 0/1	1) 0.6910 2) 0.00000	0.00

कुल गाटे- एक कुल क्षेत्रफल- शून्य दशमलव छः नौ एक शून्य (दिकटेयर) कुल भू-राजस्व - शून्य दशमलव शून्य शून्य रूपये

नामान्तरण / परिवर्तन का विवरण

खारिज किया गया

दर्ज किया गया

(10) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / नामान्तरण का आधार / डिजिटल हस्ताक्षर नाम / डिजिटल हस्ताक्षर दिनांक	(11) नाम / पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं० (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं० (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(12) गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड	(13) क्षेत्रफल (हे.)	(14) नाम / पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं० (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं० (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(15) गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड	(16) क्षेत्रफल (हे.)

(17) भूमि के सम्बन्ध में विचाराधीन राजस्व वादा/वादों की कम्प्यूटीकृत संख्या :

(18) बंधक/बंधक-मुक्त होने की स्थिति

(18.1) बंधक होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार/पिता-पति-संरक्षक):

(18.2) बंधक-मुक्त होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक-मुक्त का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार/पिता-पति-संरक्षक):

(19) अध्याकृत :

पूर्व आदेशों का विवरण

- 1) पूर्व खतीनी 1401क :- व आदेश श्रीमान परराणा अशिमहो0 मु0 न0 4/92-93 दि0 23-12-93 के अनुसारगा0 सं0 215/5-0-1-12 से आगरा विकास प्राधिकरणका नाम खारिज करके जय बजरंग सह0 आ0 समि0द्वारा सचिव सुशील कुमार गोयल नि0 दिल्ली गेटआगरा तथा गा0 सं0 27/6/5-0-1-12 से जय
- 2) बजरंग सह0आ0समि0 का नाम पृथक करके आगरा विकास प्राधिकरण आगरा का नाम वतौर सं0भू0 अंकित किया जाय गा0सं0 215 की शेष भूमि 0-10-9-8 पर आगरा विकास प्राधिकरण का नाम वदस्तर अंकित रहेगा ह0ले0 16-02-94
- 3) 1418क :- व आदेश श्रीमान तह0महो0सदर आगरा के वाद सं0 605/09-10 दि0 14-07-2010 के अनुसार गा0सं0 215/1.5060है0 मा0गु0 60ख मे से आंशिक रकवा 0.0160है0 से जयबजरंग सह0आ0समि0द्वारा सचिव सुशीलकुमार गोयल नि0दिल्ली गेट आगरा
- 4) राना नि0 4बी0 सूर्यनगर हरीपर्वत वाई आगरा का नाम वतौर बैनामा दर्ज हो ह0आर0के0 14-07-2010
- 5) 1418क :- व आदेश श्रीमान तह0महो0सदर आगरा के वाद सं0 606/09-10 दि0 14-07-2010 के अनुसार गा0सं0 215/1.5060है0 मा0गु0 60ख मे से आंशिक रकवा 0.0199है0 से जयबजरंग सह0आ0समि0द्वारा सचिव सुशीलकुमार गोयल नि0दिल्ली गेट आगरा का नाम पृथक करके ममला राना पत्नी रामप्रताप
- 6) राना नि0बी0सूर्यनगर हरीपर्वत वाई आगरा का नाम वतौर बैनामा दर्ज हो ह0आर0के0 14-07-2010
- 7) 1418क :- व आदेश श्रीमान तह0महो0सदर आगरा के वाद सं0 607/09-10 दि0 14-07-2010 के अनुसार गा0सं0 215/1.5060है0 मा0गु0 60ख मे से आंशिक रकवा 0.0199है0 से जयबजरंग सह0आ0समि0द्वारा सचिव सुशीलकुमार गोयल नि0दिल्ली गेट आगरा का नाम पृथक करके कमलेश राना पत्नी अशोक
- 8) राना नि0 4बी0 सूर्यनगर हरीपर्वत आगरा का नाम वतौर बैनामा दर्ज हो ह0आर0के0 14-07-2010
- 9) 1418क :- व आदेश श्रीमान तह0महो0सदर आगरा के वाद सं0 608/09-10 दि0 14-07-2010 के अनुसार गा0सं0 215/1.5060है0 मा0गु0 60ख मे से आंशिक रकवा 0.0105है0 से जयबजरंग सह0आ0समि0द्वारा सचिव सुशीलकुमार गोयल नि0दिल्ली गेट आगरा का नाम पृथक करके कमलेश राना पत्नी अशोक
- 10) राना नि04बी0 सूर्यनगर हरीपर्वत आगरा का नाम वतौर बैनामा दर्ज हो ह0आर0के0 14-07-2010
- 11) 1418क :- कायालय प्रभासी भूअर्जन आगरा वि0प्राधिकरण आगरा पनांक 411/डी0एल0आर0सी0 दि0 16-09-10 के अनुसार खसरा संख्या 295/1मि रकवा 0.1150है0 भूमि पर राजस्व अभिलेखों मे ओमप्रकाश पुत्र हरिविलास का नाम दर्ज है आगरा वि0प्राधिकरण आगरा द्वारा भूमि के बदले खसरा संख्या 203 का अर्जित भूमि रकवा
- 12) 0.1152है0 विनियम के द्वारा कास्तकार को दी गयी है जिसका विनियम पत्र आगरा विकास प्राधिकरण एवं संबन्धित कास्तकार के महप दिनांक 22-03-03 को निष्पादित द्वारा खसरा संख्या 203 रकवा 0.1150है0भूमि पर ओमप्रकाश पुत्र हरिविलास का नाम दर्ज है आगरा वि0प्राधिकरण आगरा खसरा संख्या 295/1 रकवा 0.1150है0 भूमि से ओम
- 13) प्रकाश पुत्र हरिविलास का नाम खारिज कर सचिव आगरा विकास प्राधिकरण आगरा का नाम राजस्व अभिलेखों मे दर्ज हो ह0आर0के0 15-09-2010
- 14) 1421क :- व आदेश श्रीमान तह0महो0 सदर आगरा के वाद सं0 800/12-13 दि0 08-11-13 के अनुसार गा0 सं0 215मि/1.5060है0 मे से आंशिक रकवा 0.5000है0 मा0गु0 60ख से जय बजरंग सह0आ0समि0द्वारा सचिव सुशील कुमार गोयल नि0 दिल्ली गेट आगरा का नाम पृथक करके माँ दुर्गा कालेज शास्त्रीपुरम आगरा
- 15) अन्तर्गत रजिस्टर्ड सोसायटी डी.सी. गोयल शिक्षा समिति माँ दुर्गा मन्दिर शास्त्रीपुरम मोहम्मदपुर आगरा द्वारा प्रबन्धक सुशील कुमार गोयल पुत्र दुलीचन्द गोयल नि0 मोहम्मदपुर तह0 व जिला आगरा का नाम दर्ज हो द्वारा विनियम विलेख दिनांक 22-04-08 ह0आर0के0 08-11-13
- 16) 1422क :- व आदेश श्रीमान तह0महो0 सदर आगरा के वाद सं0 टी 20150101011237/15 दि0 07-08-15 के अनुसार गा0सं0 215मि/5-0-1-12वीया मे से रकवा 156.70 वर्ग मी0 यानि 0.0150है0 मा0गु0 60ख से जय बजरंग सह0आ0समि0द्वारा सचिव सुशील कुमार गोयल पुत्र दुलीचन्द गोयल नि0 1/115-ए-4 देहली
- 17) गेट आगरा का नाम पृथक करके सुरेशचन्द अग्रवाल पुत्र बाबूलाल गोयल नि0 बी-638 कमलानगर आगरा का नाम वतौर बैनामा दर्ज हो ह0आर0के0 07-08-15
- 18) 1422क :- व आदेश श्रीमान तह0महो0 सदर आगरा के वाद सं0 टी 20150101011238/15 दि0 07-08-15 के अनुसार गा0सं0 215मि/5-0-1-12वीया मे से रकवा 152.45 वर्ग मी0 यानि 0.0145है0 मा0गु0 60ख से जय बजरंग सह0आ0समि0द्वारा सचिव सुशीलकुमार गोयल पुत्र दुलीचन्द गोयल नि0 1/115-ए-4
- 19) देहली गेट आगरा का नाम पृथक करके श्रीमती मिथलेश गोयल पत्नी सुरेशचन्द अग्रवाल नि0 बी-638 कमलानगर आगरा का नाम वतौर बैनामा दर्ज हो ह0आर0के0 07-08-15
- 20) 1422क :- व आदेश श्रीमान तह0महो0 सदर आगरा के वाद सं0 टी 20150101011236/15 दि0 07-08-15के अनुसार गा0सं0 215मि/5-0-1-12वीया मे से रकवा 169.70 वर्ग मी0 यानि 0.0169है0 मा0गु0 60ख से जय बजरंग सह0आ0समि0द्वारा सचिव सुशील कुमार गोयल पुत्र दुलीचन्द गोयल नि0 1/115-ए-4
- 21) देहली गेट आगरा का नाम पृथक करके राहुल गोयल पुत्र सुरेशचन्द अग्रवाल नि0 बी-638 कमलानगर आगरा का नाम वतौर बैनामा दर्ज हो ह0आर0के0 07-08-15
- 22) 1427क व आदेश श्रीमान तह0महो0 सदर आगरा के वाद सं0 T202001010100947 दि0 19-08-2020 के अनुसार गाटा संख्या 215मि रकवा 1.5060है0 मे से आंशिक रकवा 143.06 वर्ग मीटर यानि रकवा 0.0143है0 लगान 60ख अनुसार से विक्रेता जय बजरंग सहकारी आवास समिति लिमिटेड आगरा द्वारा सचिव प्रदीप बंसल पुत्र सुरेन्द्र कुमार बंसल निवासी ए/115ए-4 देहली गेट तह0 व जिला आगरा का नाम पृथक करके उसके स्थान पर क्रेता श्रीमती मधुबाला गुप्ता पत्नी प्रदीप कुमार गुप्ता निवासी 6/3-डी/1, शास्त्री नगर खन्दारी तह0 व जिला आगरा का नाम वतौर सं0भू0 द्वारा बैनामा दर्ज हो ह0आर0के0 17-08-2020
- 23) 1427क व आदेश श्रीमान तह0महो0 सदर आगरा के वाद सं0 T202001010100948 दि0 19-08-2020 के अनुसार गाटा संख्या 215मि रकवा 1.5060है0 मे से आंशिक रकवा 143.06 वर्ग मीटर यानि रकवा 0.0143है0 लगान 60ख अनुसार से विक्रेता जय बजरंग सहकारी आवास समिति लिमिटेड आगरा द्वारा सचिव प्रदीप बंसल पुत्र सुरेन्द्र कुमार बंसल निवासी ए/115ए-4 देहली गेट तह0 व जिला आगरा का नाम पृथक करके उसके स्थान पर क्रेता प्रदीप कुमार गुप्ता पुत्र हुकम चन्द गुप्ता निवासी 6/3-डी/1, शास्त्री नगर खन्दारी तह0 व जिला आगरा का नाम वतौर सं0भू0 द्वारा बैनामा दर्ज हो ह0आर0के0 19-08-2020
- 24) 1429क व आदेश श्रीमान तह0महो0 सदर आगरा के वाद सं0 T202201010101053 दि0 06-06-22 के अनुसार मौजा मुहम्मदपुर के खोला सं0 00156 के गाटा संख्या 215/5-0-1-12 वीया मे से आंशिक रकवा 0.029932है0 लगान 60ख अनुसार से विक्रेता जय बजरंग सहकारी आवास समिति लिमिटेड आगरा द्वारा सचिव श्री प्रदीप बंसल पुत्र श्री सुरेन्द्र कुमार अग्रवाल निवासी 1/115ए-4 देहली गेट, तह0 व जिला आगरा का नाम पृथक करके उसके स्थान पर क्रेता श्रीमती भारती गुप्ता पत्नी प्रदीप कुमार गुप्ता निवासी ई-204 साई परिसर, श्रीकान्त वर्मा रोड महिम बिग बाजार के पीछे व्यापार बिहार बिलासपुर छत्तीसगढ 1/2 भाग व श्रीमती सुरमी गुप्ता पत्नी श्री विजय गुप्ता पत्नी श्री अमन गुप्ता निवासी अग्रवाल सेन्टर दत्तपुरा जिला मुर्ना म0प्र0 1/2 भाग का नाम वतौर सं0भू0 द्वारा बैनामा दर्ज हो ह0आर0के0 06-06-22

Data Digitally Signed by: CHANDRA PRAKASH RAJPUT (RI OFFICE)

दिनांक/समय/स्थान: 28-01-2025 05:24:00 तहसील : आगरा

- ❶ यह उद्घरण खतीनी इलेक्ट्रॉनिक डिजिटली सिग्नेचर द्वारा तैयार की गयी है तथा डाटा डिजिटल हस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षरित है।

मुद्रित कर्ता: SHANTISWAROOP तहसील: आगरा


मुद्रित दिनांक एवं समय: 28-01-2025 05:24:00

- ❶ Not Applicable For Online Payments
- ❷ उपरोक्त उद्घरण खतीनी का वैशेषिकेशन <https://qphibnkhk.gov.in> Website पर जाकर अथवा QR Code Scan करके किया जा सकता है।





सिद्धार्थ शक्ति
कार्यवाही प्रशासक
आगरा




आगरा २९



क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र०प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
भवन सं० 14, सेक्टर 3बी, आवास विकास सिकन्दरा योजना, आगरा।

पत्रांक- 1089/ओजी-L-276 /2025

दिनांक- 27 /01 /2025

सेवा में,
नगर नियोजक,
आगरा विकास प्राधिकरण,
आगरा।
27/1/25

विषय-मा०राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ०ए० नं०-994/2024 (पूरन सिंह चौहान बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० व अन्य) के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि मा०राष्ट्रीय हरित अधिकरण में विचाराधीन प्रश्नगत ओ०ए० के क्रम में प्रचलित कार्यवाही के अन्तर्गत मौजा-मोहम्मदपुर के गाटा सं०-151 व 152 तथा मौजा-लखनपुर के गाटा सं०-130 से 135 तक के भू-उपयोग की जानकारी की आवश्यकता है।

अतः गाटा सं०-151 व 152, मौजा-मोहम्मदपुर तथा गाटा सं०-130 से 135 तक, मौजा-लखनपुर, आगरा की भूमि के भू-उपयोग की जानकारी शीघ्रतिशीघ्र अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि विषयगत प्रकरण में अग्रेतर कार्यवाही की जा सके।

भवदीय

27/1/25

(डॉ०विश्वनाथ शर्मा)
क्षेत्रीय अधिकारी

9C



आगरा विकास प्राधिकरण।

प्रेषक,

नगर नियोजक,
आगरा विकास प्राधिकरण,
आगरा।

सेवा में,

क्षेत्रीय अधिकारी,
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
भवन संख्या-14, सेक्टर-3बी, आवास विकास कॉलोनी,
सिकन्दरा योजना, आगरा।

संख्या- 47 /डी/न0नि0(नियो0)/2025

दिनांक- 28 /01/2025


विषय-मा0राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ0ए0 नं0-994/2024 (पूरन सिंह चौहान बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य) के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-1089/ओजी-एल-276/2025 दिनांक 27.01.2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा गाटा सं0-151 व 152, मौजा-मोहम्मदपुर तथा गाटा सं0-130 से 135 तक, मौजा-लखनपुर, आगरा की भूमि के भू-उपयोग की जानकारी उपलब्ध कराए जाने का अनुरोध किया गया है।

तत्काल में अवगत कराना है कि प्रश्नगत स्थल की गाटा सं0-151 व 152, मौजा-मोहम्मदपुर तथा गाटा सं0-130 से 135 तक, मौजा-लखनपुर, तहसील-सदर, जिला-आगरा का भू-उपयोग आगरा महायोजना-2021 के अंतर्गत रोड नेटवर्क प्लान जोन-3 के अनुसार प्रश्नगत खसरा सं0-152, मौजा-मोहम्मदपुर 30 मी0 चौड़े रोड नेटवर्क मार्ग से प्रभावित है, प्रश्नगत खसरे का अवशेष भाग एवं खसरा सं0-151, मौजा-मोहम्मदपुर का भू-उपयोग आवासीय (न्यून घनत्व) के अन्तर्गत है। प्रश्नगत स्थल की खसरा सं0-130 से 135 तक, मौजा-लखनपुर का भू-उपयोग आगरा महायोजना-2021 के अनुसार प्रश्नगत खसरा सं0-130 प्रस्तावित 30 मी0 चौड़े महायोजना मार्ग से प्रभावित है, प्रश्नगत खसरे का अवशेष भाग एवं खसरा सं0-131 से 135 तक का भू-उपयोग आवासीय (न्यून घनत्व) के अन्तर्गत है।

भवदीय


नगर नियोजक

1750/SA (A)

1750
27/1/25



क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र०प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
भवन सं० 14, सेक्टर 3बी, आवास विकास सिकन्दरा योजना, आगरा।

पत्रांक- 1125 /ओजी-L-276 /2025

दिनांक- 13 /02 /2025

सेवा में,

नगर नियोजक,
आगरा विकास प्राधिकरण,
आगरा।

Ramesh
13/2/2025

विषय-गायत्री मनहर ग्रीन कॉलोनी, शास्त्रीपुरम्, आगरा के स्वीकृत मानचित्र के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं०-177/डी/भवन/2024 दिनांक 05.12.2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से प्राधिकरण द्वारा खसरा सं०-151, मौजा-मोहम्मदपुर, आगरा पर मनहर ग्रीन कॉलोनी के नाम से स्वीकृत मानचित्र की प्रति उपलब्ध करायी गयी है।

तत्कम में अवगत कराना है कि प्राधिकरण द्वारा प्रश्नगत कॉलोनी के स्वीकृत मानचित्र की प्रति में कॉलोनी की मैन एन्ट्रेस के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है।

उल्लेखनीय है कि मा०राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ०ए० सं०-994/2024 (पूरन सिंह चौहान बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० व अन्य) में जिलाधिकारी महोदय, आगरा की ओर से प्रतिशपथ-पत्र दिनांक 16 फरवरी, 2025 से पूर्व दाखिल किया जाना है।

अतः प्रकरण की महत्ता एवं समयबद्धता के दृष्टिगत प्राधिकरण द्वारा प्रश्नगत कॉलोनी के स्वीकृत मानचित्र में मैन एन्ट्रेस को स्पष्टतः चिन्हांकित करते हुये तदनुसार अधोहस्ताक्षरी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें ताकि विषयगत प्रकरण में अग्रतर कार्यवाही की जा सके।

भवदीय

वश

(डॉ०विश्वनाथ शर्मा)

क्षेत्रीय अधिकारी

व०



आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा

पत्रांक:- 509 / डी / भवन / 2025

दिनांक:- 13/02/2025

प्रेषक,

नगर नियोजक
आगरा विकास प्राधिकरण
आगरा।

सेवा में,

क्षेत्रीय अधिकारी,
क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
आगरा

विषय:- गायत्री मनहर ग्रीन्स कालोनी, शास्त्रीपुरम, आगरा के स्वीकृत मानचित्र के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त संदर्भित पत्र का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें पत्र के माध्यम से खसरा सं०-151 मौजा-मौहम्मदपुर, आगरा पर मनहर ग्रीन्स के नाम से स्वीकृत तलपट मानचित्र में कालोनी की एन्ट्रेंस के सम्बन्ध में आख्या चाही गई है।

उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि पत्रावली में उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार "स्थल के सम्मुख रोड नेटवर्क प्लान जोन-3 के अनुसार प्रश्नगत खसरा सं०-151 की भूमि के सामने 12.00मी० चौड़ा मार्ग निर्धारित है।"

भवेदीय

नगर नियोजक

सेवा में,

श्रीमान् सक्षम अधिकारी महोदय,

महोदय,

वाक्यात इस प्रकार है कि गिराज सहकारी आवास समिति लि० व तीर्थ आवास सहकारी लि० ने मिलकर मनहर ग्रीन नामक सोसाईटी का निर्माण कराया था तथा उन्होंने ही आगरा विकास प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराया था। पड़ोस में हमारी जमीन मधुसूदन सहकारी आवास समिति के नाम से है और हमें इन दोनों सोसाईटियों के द्वारा बताया गया कि हम आपकी कॉलोनी का भी विकास कर देंगे। तो इसी वजह से दोनों जगह के लिए ट्रांसफार्मर व सीवर टैंक हमारी जमीन में खुदवा दिया। मानचित्र के अनुसार मनहर ग्रीन सोसाईटी का गेट इधर नहीं है। शिकायतकर्ता की शिकायत निराधार व बेबुनियाद है। हमने इनकी कॉलोनी में कोई दखल नहीं किया है। वर्तमान में यह लोग जिस प्लॉट की बात करते हैं। उस प्लॉट का बैनामा मधुसूदन आवास सहकारी समिति द्वारा राजेश सिंह को कर दिया गया है।

निदेशक/अध्यक्ष वर्तमान



मधुसूदन आवास सहकारी समिति



ATTESTED

 J.S. Bhagat (Advocate)
 DISTT. NOTARY
 R. No. 9481/12
 Sworn Officer, Amr